

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र०-188/2003

संस्थित दिनांक-29.11.2002

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

1. प्रहलाद पुत्र तुलाराम कौरव उम 60 साल
 - पूर्व से निराकृत 2. कप्तानसिंह पुत्र हरिराम कौरव उम्र 75 साल
 - फरार 3. कल्यानसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उम्र 53 साल
 - फरार 4. राघवेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह
- निवासीगण ग्राम टैटोन थाना एण्डोरी
जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 03.11.2017 को घोषित}

अभियुक्त प्रहलाद पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 452, 294, 506 बी, 323/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 18.02.2002 को 2 बजे दिन में मुह० कोर्ट का कुंआ गोहद मार्कण्डेश्वर वाली गली पर फरियादी की किराने की दुकान में उसे मारपीट करने की तैयारी के पश्चात् प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया, फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभकारित किया, फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर बनाया जिसके अग्रशरण फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 18.02.2002 को दिन के करीब दो बजे फरियादी बाबूलाल जैन अपने किराने की दुकान पर बैठा था, जहां बैजूसिंह परिहार सामान ले रहा था। इतने में ग्राम टैटोन के कलियानसिंह, प्रहलादसिंह, राघवेन्द्रसिंह, कप्तानसिंह उसकी दुकान में घुस आए और चारों मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और कहाकि जमीन के मामले में राजीनामा कर लो नहीं तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। जब फरियादी ने कहाकि जो न्यायालय से निर्णय होगा, स्वीकार करेंगे तो अभियुक्तगण उनकी लातघूंसों से मारपीट करने लगे। कलियान ने थैले में हंसिया निकालकर मारने दौड़ा तो बैजू परिहार ने हंसिया पकड़ लिया। आरोपीगण जाते समय

जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उक्त आशय की लिखित शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 43/2002 दिनांक 17.03.2002 को पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तार पत्रक बनाया गया, बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना बताया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1-क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.02.2002 को 2 बजे दिन में मुह० कोर्ट का कुंआ गोहद मार्कण्डेश्वर वाली गली पर फरियादी की किराने की दुकान में उसे मारपीट करने की तैयारी के पश्चात् प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया ?

2-क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व सार्वजनिक स्थान पर फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभकारित किया ?

3-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

4-क्या उक्त दिनांक, समय पर फरियादी को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?

5-क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर बनाया जिसके अग्रशरण फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में पप्पू उर्फ हरजीत अ०सा० 1, बाबूलाल जैन अ०सा० 2, वैजनाथ अ०सा० 3 तथा राजकुमार अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में पुनरावृत्ति के निराकरण हेतु सभी विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 5 //

7. फरियादी बाबूलाल जैन अ०सा० 2 घटना दिनांक 18.02.2002 की दिन के दो बजे की होना बताते हैं और यह कथन करते हैं कि अभियुक्त अपने सह अभियुक्तगण कलियान, राघवेन्द्र व कप्तान

के साथ आया और वे बोले कि न्यायालय में जो सिविल दावा किया है उसमें राजीनामा कर लो, तो उसने कहा कि जो भी न्यायालय फेसला करेगा वह उसे मंजूर है, तो सभी लोग दुकान पर आ गए और चारों लोग मादरचोद बहनचोद की गालियां देने लगे। अभियुक्त कलियान द्वारा उसे लातघूंसे मारने और झोले में रखे हंसिया को निकाला और उसे मारने को हुआ तो पास में खड़े बैजू परिहार ने कलियान का हंसिया पकड़ लिया। मुख्य परीक्षण में ही यह साक्षी स्पष्ट रूप से कथन करता है कि किसी भी आरोपी ने उसे नहीं मारा था, केवल गालियां दी थी और केवल खड़े देखते रहे थे। कथित घटना के बाद दुकान पर ही 2-3 घण्टे रहने का कथन करता है और उसके बाद पुलिस के आने का कथन करता है।

8. साक्षी अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि पुलिस ने पास के लोगों से पूछताछ की थी व उसने जैसे ही पुलिस वापस गयी तब लिखित रिपोर्ट पुलिस को दी थी। अभिकथित लिखित रिपोर्ट प्र०पी० 1 बताकर उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। लिखित रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण दर्ज किए जाने का कथन करता है। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जिस रिपोर्ट प्र०पी० 1 को फरियादी घटना के पश्चात् लेख कराकर दिए जाने का कथन करते हैं, उक्त रिपोर्ट/आवेदन पत्र को लेख किए जाने की कोई तिथि अंकित नहीं है। अभिकथित आवेदनपत्र थाने को संबोधित न होकर एस०डी०ओ०पी० गोहद के प्रति लेख किया गया है जिस पर नोटिस जारी किए जाने व एएसआई तोमर से स्पष्टीकरण लिए जाने का पृष्ठांकन अंकित कर हस्ताक्षरों के नीचे दिनांक 11.03 अंकित है। ऐसी दशा में अभिकथित आवेदनपत्र घटना के पश्चात् दिया गया हो, ऐसा अभिलेख से स्पष्ट नहीं होता है। प्राथमिकी से यह दर्शित है कि उक्त प्राथमिकी घटना से एक माह पश्चात् लेख की गयी है। ऐसी दशा में विलंब का कोई समुचित कारण दर्शाया नहीं गया है।

9. प्रकरण में घटना का अभिकथित साक्षी पप्पू उर्फ हरजीत अ०सा० 1 एवं बैजनाथ अ०सा० 2 बताए गए हैं। उक्त दोनों ही साक्षीगण अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन नहीं करते हैं। बैजनाथ अ०सा० 3 से न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किए जाने, जान से मारने की धमकी देने के संबंध में सुझाव दिया गया जिसे इस साक्षी द्वारा अस्वीकार किया गया। इस प्रकार से अभिकथित घटना का कोई भी समर्थन किसी स्वतंत्र साक्षी से नहीं हुआ है। जहां फरियादी बाबूलाल अ०सा० 2 की अभिसाक्ष्य का प्रश्न है तो, इस संबंध में ध्यान देने योग्य है कि फरियादी मुख्य परीक्षण में बताता है कि अभियुक्तगण से सिविल दावा चल रहा है। प्रतिपरीक्षण में भी अभिकथित तथ्य को स्वीकार किया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा उक्त सिविल प्रकरण में राजीनामा के लिए कहे जाने और फरियादी द्वारा मना करने पर गाली गलौच व मारपीट के संबंध में तथ्य बताए हैं। ऐसी दशा में उक्त फरियादी व अभियुक्तगण के मध्य जमीनी विवाद को लेकर बुराई

का तथ्य अभिलेख पर है, ऐसी दशा में फरियादी बाबूलाल अ०सा० 1 की अभिसाक्ष्य को सूक्ष्मता से विश्लेषण की आवश्यकता है।

10. प्रकरण में फरियादी बाबूलाल अ०सा० 2 अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौंच करने के संबंध में कथन किया गया है, किन्तु किस अभियुक्त ने कौनसी गाली दी, इस संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया गया है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में स्पष्ट रूप से कथन करता है कि अभियुक्त प्रहलाद ने उसकी कोई मारपीट नहीं की और प्रहलाद तथा कप्तान अलग खड़े थे। अभियुक्त द्वारा फरियादी बाबूलाल को पकड़ने, घेरने अथवा भयोपरत करने का कोई कृत्य किया गया हो, ऐसा स्वयं फरियादी की साक्ष्य से दर्शित नहीं है, मात्र घटना स्थल पर उपस्थिति के आधार पर अभियुक्त के अन्य व्यक्तियों से सामान्य आशय के संबंध में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

11. प्रकरण में फरियादी बाबूलाल अ०सा० 2 का जहां एक ओर अभियुक्तगण से दीवानी विवाद होने का तथ्य बताया गया है वहीं फरियादी बाबूलाल का आचरण भी प्रकरण में महत्वपूर्ण है जो यह कथन करता है कि अभियुक्तगण के जाने के बाद 2-3 घण्टे तक वह दुकान पर ही बैठा रहा और पुलिस आई तब लोगों से पूछताछ की थी, पुलिस के वापस जाने पर उसने प्र०पी० 1 की लिखित रिपोर्ट दी थी, जबकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हो, इस संबंध में कोई देहाती नालिसी अभिलेख पर नहीं है। दो तीन घण्टे तक फरियादी दुकान पर घटना के बाद भी बैठे रहने के संबंध में जो कथन करता है वह एक सामान्य व्यक्ति के व्यवहार से अपेक्षित नहीं है। जहां तक प्र०पी० 1 के आवेदन का प्रश्न है तो उक्त आवेदन पत्र फरियादी द्वारा घटना दिनांक को प्रस्तुत किया गया हो, इस संबंध में संदेह का तथ्य अभिलेख पर है। साथ ही प्र०पी० 1 का आवेदन पत्र एसडीओपी गोहद को संदर्भित है। ऐसी दशा में प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में फरियादी के द्वारा किया गया कथन उसके आचरण को संदिग्ध दर्शाता है। फरियादी बाबूलाल के अभिसाक्ष्य का किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थन न किया जाना भी उसके अभिसाक्ष्य पर विश्वास का आधार उत्पन्न नहीं करते। जहां अभियुक्तगण से वह जमीनी विवाद होना बताता है। ऐसी दशा में उसकी अभिसाक्ष्य में मौजूद विरोधाभासी तथ्य गंभीर प्रकृति के हो जाते हैं। अभियुक्त प्रहलाद द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में किसी आपराधिक कृत्य को कारित करने के संबंध में फरियादी का कथन नहीं है, बल्कि मात्र मौके पर खड़े होने का कथन है, वह भी विश्वस्थ साक्ष्य से समर्थित नहीं है। फरियादी बाबूलाल ने उसे शरीर पर कहां चोट थी इसका कोई कथन भी नहीं किया है। अनुसंधानकर्ता राजकुमार अ०सा० 4 औपचारिक साक्षी है।

12. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं

कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 18.02.2002 को 2 बजे दिन में मुह० कोर्ट का कुंआ गोहद मार्कण्डेश्वर वाली गली पर फरियादी की किराने की दुकान में उसे मारपीट करने की तैयारी के पश्चात् प्रवेश कर आपराधिक अतिचार कारित किया, फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभकारित किया, फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिवास कारित किया तथा फरियादी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर बनाया जिसके अग्रशरण फरियादी की मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की। अतः अभियुक्त प्रहलाद को संहिता की धारा 452, 294, 506 बी, 323/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

14. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

15. अभियुक्त की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

16. अन्य सह अभियुक्तगण राघवेन्द्र व कलियान फरार हैं, अतः प्रकरण को सुरक्षित रखने की टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर अंकित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश